संख्या-14/2015/434 ई-2/तेरह-2015-13/2015

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 09 मार्च,2015

विषय:-मेसर्स शताब्दी केमिकल्स प्रा0लि0, गाजियाबाद (एफ0एल0-39 अनुज्ञापी) के वार्षिक विशेष विकृत सुरा के कोटे में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-139/दो-805ए(41)/261, दिनांक 30 जनवरी,2015 एवं पत्र संख्या-जी-151/दो-805ए(41)/261, दिनांक 26 फरवरी,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स शताब्दी केमिकल्स प्रा0लि0, गाजियाबाद (एफ0एल0-39 अनुज्ञापी) की इथाईल एसीटेट प्लान्ट की क्षमता 4.0 मी0टन प्रतिदिन अर्थात् 1200 मी0टन वार्षिक से 40.0 मी0 टन प्रतिदिन अर्थात् 12000 मी0टन वार्षिक हो जाने के कारण एस0डी0एस0 का वार्षिक कोटा 9.27 ब0ली0 से बढाकर 91.00 लाख ब0ली0 किये जाने के सम्बन्ध में शासन की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त इकाई नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग, केन्द्र तथा राज्य सरकार की सुसंगत विधियों में विहित व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://sugamadesh.up.nic.in/egi/intra